

२७
१६

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति

वीरोदय नगर, जैन नसियाँ रोड,
सागानेर, जयपुर

कर्मचारी सेवा नियम

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति, जयपुर (जिसे आगे चल कर "समिति" के नाम से जाना जाएगा) समिति द्वारा वर्तमान में सचालित एवं भविष्य में रथापित की जाने वाली संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी शर्तों को निर्धारित करने के प्रयोजन से समिति के विधान की धारा 14 'क' से 'ज' के अनुसरण में निम्नानुसार "कर्मचारी सेवा नियम" बनाती है :-

भाग (1) : नाम एवं विस्तार आदि

- (1) नाम एवं प्रभावी होने का दिन फ
- (क) ये नियम "श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति एवं अधीनस्थ संस्था कर्मचारी सेवा नियम" कहलाएंगे तथा उन कर्मचारियों को छोड़कर जिनका उल्लेख आगे विनियम 2 में किया गया है, ऐसे समस्त कर्मचारियों पर लागू होंगे, जो समिति से सम्बन्धित अथवा समिति के अधीन किसी कार्य हेतु भारत में कहीं भी नियोजित किए गए हों।
- (ख) ये नियम दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी होंगे।
- (2) प्रभावशीलता की सीमा :
- (क) ये नियम निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर समिति अथवा उसकी अधीनस्थ संस्था की सेवा में नियुक्त कर्मचारियों पर लागू होंगे :
- (1) दैनिक वेतनभोगी कर्मचारीगण,
 - (2) अंशकालिक रूप से नियुक्त कर्मचारीगण,
 - (3) केन्द्र, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी संस्था से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारीगण,
- (4) संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारीगण पर ये नियम उस सीमा तक लागू होंगे जहाँ तक संविदा में अंकित मूलभूत प्रावधानों का अधिक्रमण न होता हो।

समिति की कार्यकारिणी समिति द्वारा दिनांक 22-11-2015 की बैठक में स्वीकृत

संशोधित दिनांक 10/12/2019 के निर्णय द्वारा
अध्यक्ष 22/11/15

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियाँ रोड, सागानेर, जयपुर-302029

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियाँ रोड, सागानेर, जयपुर-302029

(2)

(3) पूर्व प्रसारित आदेशों का निरस्तीकरण :

जिन विषय वस्तुओं का इन नियमों में समावेश किया गया है, उनके सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर प्रसारित किए गए आदेश एवं परिपत्र निरस्त समझे जावेंगे। परन्तु पूर्व में प्रसारित आदेशों एवं परिपत्रों के अनुसरण में की गई कार्यवाही वैध मानी जावेगी।

(4) व्याख्या, संशोधन एवं शिथलीकरण :

समिति इन नियमों के प्रावधानों की व्याख्या करने, इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करने तथा विशिष्ट परिस्थितियों में न्यायोचित व युक्त-युक्त प्रतीत होने पर शिथिल करने/संशोधित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।

भाग (2) परिभाषाएँ

1

(5) इन नियमों में जब तक कि प्राप्तंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :—


(क) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य समिति के अध्यक्ष से है।

(ख) 'अवैतनिक अवकाश' से तात्पर्य उस अवकाश से है जिस अवकाशकाल में कर्मचारी को कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होता।


(ग) 'अस्थाई कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसकी नियुक्ति अस्थाई रूप से एक निश्चित अवधि के लिए की गई हो।

(घ) 'आकस्मिक अवकाश' से तात्पर्य ऐसे अवकाश से है जो आकस्मिक परिस्थितियों में किसी कर्मचारी को स्वीकृत किया जाता है, परन्तु अन्य सभी प्रयोजनार्थ ड्यूटी माना जाता है।

(च) 'उपार्जित अवकाश' से तात्पर्य ऐसे अवकाश से है जो सेवा में व्यतीत किए गए समय के आधार पर कोई कर्मचारी अर्जित करता है, तथा अवकाश की अवधि में, अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व जिस दर से वेतन व महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहा था, उसी दर से अवकाश वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है।


अध्यक्ष
22/11/15

श्री दिग्मन्नर जैन संरक्षित शिक्षा समिति
जैन नं
गोपनी, लाला, 302029


मंत्री

श्री दिग्मन्नर जैन संरक्षित शिक्षा समिति
जैन नारिंदा रोड, सामानेर, जयपुर-302029

(छ) 'कमेटी' से तात्पर्य सामान्यत निम्नानुसार होगा :-

- “श्री दिग्म्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति” के संदर्भ में “कार्यकारिणी समिति”
 - “श्री दिग्म्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय” के संदर्भ में “प्रबन्ध समिति”
 - “आदिनाथ पब्लिक स्कूल” के संदर्भ में “प्रबन्ध समिति”
 - “संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश उच्च-स्तरीय अध्ययन एवं अनुसंधान केन्द्र”, जयपुर के संदर्भ में “प्रबन्ध समिति”
 - मनिहारों का रास्ता स्थित छात्रावास के संदर्भ में छात्रावास व्यवस्था समिति

(ज) “कर्मचारी” से तात्पर्य कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए उन कर्मचारियों एवं अधिकारियों से है, जिनकी नियुक्ति कमेटी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी रूप से, परिवीक्षा पर, तदर्थ रूप में अथवा संविदा के आधार पर की गई हो।

(ज) ‘कार्यालय प्रभारी’ से तात्पर्य उनके अधीन कर्मचारियों के सम्बन्ध में निम्न व्यक्तियों से है।

- प्राचार्य : श्री दिगम्बर जैन आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर
 - आचार्य : आदिनाथ पब्लिक स्कूल, सांगानेर
 - निदेशक : संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश उच्च स्तरीय अध्ययन एवं
अनुसंधान केन्द्र, जयपुर
 - अधीक्षक : छात्रावास के सम्बन्ध में

(ट) 'चयन समिति' से तात्पर्य कमेटी द्वारा इस नाम से गठित समिति से है।

(ठ) 'तदर्थ नियुक्ति' से तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है, जो आकस्मिक रूप से किसी तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इन नियमों में वर्णित नियमित नियुक्ति की सामान्य प्रक्रिया को अपनाते हुए की गई हो।

(इ) 'परिवीक्षा' से तात्पर्य ऐसी नियुक्ति से है जो अस्थाई रूप से एक निश्चित समय के लिए इस उद्देश्य की गई हो कि यदि कर्मचारी का आचरण एवं सेवाएँ संतोषप्रद पाई जावे तो उसे सेवा में स्थायी किए जाने पर /संविदा पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा सके।

(द) 'प्रसूति अवकाश' से तात्पर्य उस अवकाश से है जो किसी विवाहित महिला स्थायी कर्मचारी को किसी पंजीकृत चिकित्सक के परामर्श पर प्रसूति काल में स-वेतन स्वीकृत किया जाता हो।

क्र. नं. ६६
अध्यक्ष २२/११/१५

श्री दिग्बन्धर जैन संस्कृत शिळा समिति
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-302029

Jan 3
1991

मत्रा
श्री दिग्मवर जैन रास्कृत शिळा समिति
जैन नसियाँ रोड, सागानेर, जयपुर-302029

- (ण) 'भत्ते' से तात्पर्य उस राशि से है जो किसी कर्मचारी को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाती हो।
- (त) 'मानद मंत्री' से तात्पर्य कमेटी के मंत्री से है।
- (थ) 'मूल वेतन' से तात्पर्य किसी कर्मचारी को देय उस वेतन से है, जो भत्तों के अतिरिक्त उसे किसी निर्धारित वेतनमान में अथवा समग्र रूप से प्रतिमाह देय हो।
- (द) 'वर्ष' से तात्पर्य केलेण्डर वर्ष से है जो एक जुलाई से प्रारम्भ होकर तीस जून को समाप्त होता है।
- (ध) 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य मानद मंत्री अथवा ऐसे अधिकारी से है जिसे इन नियमों के संदर्भ में शक्तियाँ प्रदान की गई है, अथवा भविष्य में प्रदान की जावे।
- (न) 'समग्र वेतन' से तात्पर्य उस एक मुश्त राशि से है जो किसी कर्मचारी को समग्र वेतन पर नियुक्त किए जाने की दशा में बतौर मासिक वेतन देय होती है।
- (प) 'स्थाई कर्मचारी' से तात्पर्य ऐसे कर्मचारी से है जिसकी नियुक्ति नियमानुसार स्थाई रूप से बिना समय-सीमा निर्धारित किए की गई हो अथवा जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी पद-विशेष पर स्थाई घोषित किया गया हो।
- (फ) 'संविदा' से तात्पर्य उस करार से है, जिसमें किसी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए, समिति अथवा अधीनस्थ संस्था की सेवा में नियुक्त किए जाने की शर्तों का उल्लेख हो।

भाग (3) सेवा की सामान्य शर्तें

(6) आचरण एवं व्यवहारः

प्रत्येक कर्मचारी को यह स्मरण रखना होगा कि समिति एवं समिति द्वारा संचालित संस्थाएँ वाणिज्यिक न होकर परोपकार व चरित्र उत्थान की दृष्टि से संचालित हैं। अतः उन्हें त्याग एवं समर्पण की भावना से अपनी सेवाएँ संस्था

को देनी है।

८८-८८

अध्यक्ष २२/११/१५

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नासियाँ रोड, सांगानेर, जागपुर-३०२०२९

मंत्री

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नासियाँ रोड, सांगानेर, जागपुर-३०२०२९

- (7) सार्वजनिक जीवन में कोई भी कर्मचारी ऐसा कोई आचरण नहीं करेगा जिससे संस्था की गरिमा को ठेस पहुँचती हो।
- (8) नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण : समिति द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण मानद मंत्री का रहेगा, परन्तु इन गतिविधियों का दिन प्रतिदिन संचालन सम्बन्धित संस्था के कार्यालय प्रभारी की देखरेख में होगा।
- (9) कार्य दिवस एवं कार्य समय का निर्धारण : प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारी हेतु उनके कार्य की प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनके कार्य दिवस एवं कार्य का समय निर्धारित किया जावेगा, जिसका निष्ठापूर्वक पालन करना प्रत्येक कर्मचारी का कर्तव्य होगा।

तथापि, प्रत्येक कर्मचारी विशेष एवं आकस्मिक परिस्थितियों में किसी भी समय समिति को अपनी सेवाएँ निस्वार्थ भावना से प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर रहेगा।

- (10) स्थानान्तरण : किसी भी कर्मचारी को, जो समिति के किसी भी कार्य हेतु समिति के अधीन अथवा नियंत्रण में कहीं भी नियोजित हो, समिति के हित में ऐसी किसी भी स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरित किया जा सकेगा जो समिति के कार्यक्षेत्र में आता हो।
- (11) आयु सीमा : समिति एवं अधीनस्थ संस्था में नियमित नियुक्ति हेतु केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने नियुक्ति वर्ष की एक जनवरी को कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो एवं 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त नहीं की हो।
- (12) सेवानिवृत्ति : समिति एवं अधीनस्थ संस्था की सेवाओं से कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उसके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, उस माह के अंतिम दिनांक को हो जावेगी।
- (13) सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति की सेवा में नियुक्ति : समिति के हित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यकता होने पर समिति अथवा अधीनस्थ संस्था की सेवा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक प्रतिष्ठान/निजी प्रतिष्ठान/समिति अथवा अधीनस्थ संस्था की सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति अथवा 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी एक निश्चित अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए आयु सीमा बाधक नहीं होगी।

कृष्ण राज
अध्यक्ष 22/11/15

श्री दिग्म्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-302029

मनोज
मंत्री

श्री दिग्म्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-302029

(14) शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता पर सेवानिवृत्ति : समिति द्वारा मनोनीत किसी राजकीय चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी कर्मचारी को समिति की सेवा हेतु शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम घोषित किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी उस कर्मचारी को किसी भी समय एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा नोटिस के विकल्प में एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितने दिन कम रहते हैं, उतने दिनों का वेतन एवं देय भत्ते चुका कर सेवानिवृत्त कर सकेगा।

(15) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति : कोई स्थायी कर्मचारी तीन माह का पूर्व नोटिस देकर एवं अस्थाई कर्मचारी एक माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस अवधि का वेतन एवं भत्ते समिति के कोष में जमा करवा कर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकेगा।

तथापि सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि स्वविवेक से कर्मचारी द्वारा दिए जाने वाले नोटिस की शर्तें को समाप्त कर सके अथवा उसकी अवधि कम कर सके।

(16) प्रशासनिक कारणों से सेवानिवृत्ति : यदि सक्षम प्राधिकारी यह महसूस करता है कि किसी कर्मचारी ने अपने गलत आचरण अथवा व्यवहार से प्रबन्धन का विश्वास खो दिया है अथवा उसे समिति अथवा अधीनस्थ संस्था की सेवा में रखे जाना समिति के हित में नहीं है, तो उसे किसी भी समय तीन माह का पूर्व नोटिस अथवा नोटिस के विकल्प में तीन माह अथवा नोटिस अवधि में जितने दिन कम रहते हैं, उतने दिनों का वेतन एवं देय भत्ते चुका कर सेवानिवृत्त किया जा सकेगा।

(17) अनिवार्य सेवानिवृत्ति : सक्षम प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि किसी कर्मचारी को, जिसने 25 वर्ष की समिति अथवा अधीनस्थ संस्था की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, बिना कारण बताए तीन माह का नोटिस देकर अथवा नोटिस के विकल्प में तीन माह अथवा नोटिस अवधि में जितने दिन कम रहते हैं, उतने दिन का वेतन एवं देय भत्ते चुकाकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकेगा।

(18) सेवा-पुस्तिका : प्रत्येक कर्मचारी की उसकी प्रथम नियुक्ति के दिनांक से एक सेवा पुस्तिका संधारित की जावेगी जिसमें उस कर्मचारी का वैयक्तिक विवरण तथा उसकी सेवा से सम्बन्धित प्रत्येक घटना को अंकित किया जाकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जावेगा।

[Signature]
अध्यक्ष 22/11/15
श्री दिग्म्बर जैन संस्कृत विद्यालय
जैन नसियौं रोड, सांगानेर, जबलपुर-302029

[Signature]
मंत्री
श्री दिग्म्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियौं रोड, सांगानेर, जबलपुर-302029

- (19) वार्षिक मूल्यांकन : प्रत्येक कर्मचारी द्वारा वर्ष में किए गए कार्य का मूल्यांकन कार्यालय प्रभारी द्वारा किया जाकर निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन मानद मंत्री को समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जावेगा तथा उनके प्रतिवेदन मानद मंत्री द्वारा अध्यक्ष को अभ्युक्ति / प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किए जावेंगे।

भाग (4) नियुक्ति

- (20) नियमित नियुक्ति : समिति अथवा अधीनस्थ संस्था में विभिन्न पदों पर नियमित नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत चयन के आधार पर की जावेगी, जिसके लिए अहंताएँ एवं अनुभव समय समय पर प्रसारित आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित की जावेगी।
- (21) विमुक्त कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति : समिति अथवा अधीनस्थ संस्था की सेवा से पूर्व में विमुक्त किए गए कर्मचारी को पुनः सेवा में नियुक्ति, चाहे वह तदर्थ रूप में ही हो, केवल मानद मंत्री एवं अध्यक्ष से लिखित स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही दी जा सकेगी।
- (22) प्रथम नियुक्ति : किसी भी पद पर प्रथम नियुक्ति सामान्यतया एक वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा निश्चित अवधि के लिए संविदा पर की जा सकेगी।
- :
- (23) परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी की सेवा समाप्ति : कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा अवधि में दी गई सेवाओं का मूल्यांकन करने पर सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व भी किसी समय समाप्त कर सकेगा, जिसके लिए कर्मचारी किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा।
- (24) परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि अथवा स्थायीकरण : परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर कर्मचारी द्वारा परिवीक्षा अवधि में दी गई सेवाओं का कार्य मूल्यांकन करने पर सक्षम प्राधिकारी उसको स्थायी किए जाने के बार में निर्णय ले सकेगा अथवा यदि वह अनुभव करता है कि कर्मचारी के कार्य और व्यवहार में और सुधार अपेक्षित है तो उसकी परिवीक्षा अवधि आगे बढ़ाएँ जाने का निर्णय ले सकेगा।

क. नं. ५६
अध्यक्ष २२/११/१५

श्री दिग्म्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियां रोड, सांगानेर, जयपुर-302023

मंत्री

श्री दिग्म्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियां रोड, सांगानेर, जयपुर-302023

- (25) **तदर्थ नियुक्ति :** किसी पद के रिक्त होने की दशा में आकस्मिक एवं तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी बिना मानद मंत्री की पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी कर्मचारी को तदर्थ एवं अस्थायी रूप से दैनिक वेतन पर, अधिकतम 30 दिवस तक के लिए नियुक्त कर सकेगा, जिसकी सूचना तत्काल मानद मंत्री को प्रेषित की जावेगी।

परन्तु इस प्रकार की गई नियुक्ति बिना मानद मंत्री अथवा चयन समिति जैसी भी स्थित हो, के अनुमोदन के किसी भी दशा में 30 दिवस से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी तथा कर्मचारी की सेवाएँ उक्त अवधि के उपरान्त स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

- (26) **अधिवार्षिक आयु प्राप्त वर्तमान कर्मचारीगण :** इन विनियमों के प्रभाव में आने के दिनांक को समिति अथवा अधीनस्थ संस्था की सेवा में वर्तमान में नियुक्त ऐसे कर्मचारियों के सम्बन्ध में जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, सक्षम प्राधिकारी 3 माह की अवधि में पृथक से समुचित निर्णय लेंगे।

भाग (6) अवकाश

- (27) **अवकाश अधिकार नहीं :** किसी भी प्रकार का अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता है तथा सक्षम प्राधिकारी का यह विवेक होगा कि वह समिति के हित में अवकाश स्वीकृत कर देवे अथा स्वीकृत अवकाश को किसी भी समय निरस्त कर देवे।

- (28) **आकस्मिक अवकाश :** समिति में नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन का अवकाश बतौर आकस्मिक अवकाश देय होगा।

परन्तु

- (i) कर्मचारी की नियुक्ति के प्रथम वर्ष में प्रथम 3 माह के सेवाकाल में केवल 5 दिन तथा 6 माह के सेवाकाल में केवल 10 दिन का आकस्मिक अवकाश ही देय होगा।
- (ii) एक बार में आकस्मिक अवकाश की अवधि रविवार एवं अन्य घोषित अवकाश को सम्मिलित कर 10 दिन से अधिक नहीं होगी।
- (iii) आकस्मिक अवकाश उन्य किसी प्रकार के अवकाश के साथ अथवा उसकी निरन्तरता में नहीं लिया जा सकेगा तथा यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कर्मचारी की प्रार्थना पर स्वीकृत आकस्मिक अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश में, जो भी देय हो, रूपातरित किया जा सकेगा।

6-३८५
अध्यक्ष २२/१११५

श्री दिग्म्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियाँ रोड सानानेर ज़िला ३०२०२०

१४
मंत्री

श्री हिंगार जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियाँ रोड सानानेर ज़िला ३०२०२९


- (IV) केवल अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेगा तथा यदि उस अवकाश में मुख्यालय से बाहर जाना हो तो उसकी भी पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा तथा अवकाश की अवधि में वह जहां रहेगा उसका पता सूचित करेगा।
- (V) अपरिहार्य स्थिति में समिति अथवा अधीनस्थ संस्था के हितार्थ कर्मचारी का स्वीकृत अवकाश निरस्त कर ड्यूटी पर बुलाया जा सकेगा।
- (29) उपार्जित अवकाश समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों को छोड़कर जिनके सम्बन्ध में व्यवस्था नियम 33 से 35 पर है ऐसे कर्मचारी एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रति वर्ष 30 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित कर सकेंगे।

परन्तु सेवा के प्रथम वर्ष में उपार्जित अवकाश की गणना प्रतिमाह $1^{1/4}$ दिन की दर से की जावेगी।

- (30) सेवा से अनुपस्थिति एवं अवैतनिक अवकाश की अवधि में कर्मचारी उपार्जित अवकाश का अर्जन नहीं कर सकेगा तथा ऐसे दशा में प्रत्येक 10 दिन की अनुपस्थिति पर एक दिन का उपार्जित अवकाश खाते में कम कर दिया जावेगा।
- (31) समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कार्यरत अध्यापकों को छोड़ते हुए प्रथम वर्ष में उपार्जित अवकाश के उपरान्त अन्य कर्मचारी के अवकाश खाते में प्रति वर्ष एक जनवरी को 15 दिन का एवं एक जुलाई को 15 दिन का उपार्जित अवकाश जमा कर दिया जावेगा।

परन्तु इस प्रकार अर्जित किये गये अवकाश की अधिकतम सीमा 120 दिन होगी।

- (32) उपार्जित अवकाश आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ अथवा उसकी निरन्तरता में लिया जा सकेगा। परन्तु इस प्रकार लिया गया अवकाश एक बार में 120 दिन से अधिक केवल कर्मचारी के अस्वस्थ होने की दशा में पंजीकृत चिकित्सक के परामर्श पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।


 श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
 जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-302029
 जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-302029

- (33) समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों को वर्ष में केवल 5 दिन का उपार्जित अवकाश ही देय होगा, जिसकी अधिकतम सीमा 60 दिन होगी।
- (34) यदि किसी अध्यापक को समिति के हित में किसी वर्ष विश्राम काल का उपभोग करने से वंचित रखा जाता है तो ऐसे अनुपयोजित विश्रामकालों के प्रतिफल में उस अध्यापक को उस वर्ष 15 दिन के अनुपात में उपार्जित अवकाश देय होगा। यदि किसी वर्ष वह पूर्णतः विश्रामकाल के उपयोग से वंचित रखा जावे तो उसे उस वर्ष विश्रामकाल की समाप्ति पर 15 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा, जो उसके अवकाश खाने में जोड़ दिया जावेगा।
- (35) ऐसे अध्यापक जो वर्ष के मध्य में नियुक्त किये जावे उनके अवकाश लेखे में उस वर्ष की समाप्ति पर वर्ष में की गई सेवा के अनुपात में उपार्जित अवकाश जोड़ा जावेगा।

❖ 1 (36A) ड्यूटी लीव समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्था के अध्यापकों को यदि संस्था हित में अन्यत्र ड्यूटी पर भेजा जाता है तो उन्हें देय आकस्मिक एवं उपार्जित अवकाश के अलावा 'ड्यूटी लीव' दी जा सकेगी, किन्तु किसी भी गणना वर्ष में 'ड्यूटी लीव' की संख्या 10 से अधिक नहीं होगी।

❖ 2 (36B) शैक्षणिक अवकाश (Academic Leave)

"समिति द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक को देश विदेश की किसी संस्था द्वारा आयोजित विचारगोष्ठी / सेमीनार अथवा समकक्ष आयोजन में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र प्राप्त होने पर अथवा ऐसे किसी कार्यक्रम में, जिसमें भाग लेना हमारी शिक्षण संस्था के हित में हो, भाग लेने की अनुमति दी जानी हो तो कर्मचारी को मंत्री द्वारा निमानुसार शैक्षणिक अवकाश (Academic Leave) स्वीकृत किया जा सकता है—

(अ) नियमित रथायी कर्मचारी को शैक्षणिक वर्ष में अधिक से अधिक दस दिवस।

(ब) अस्थायी कर्मचारी को शैक्षणिक वर्ष में अधिक से अधिक पाँच दिवस।

नोट — यह अवकाश सम्बन्धित कार्यक्रम के आयोजकों से प्राप्त आमंत्रण—पत्र एवं कार्यक्रम में भाग लेने के प्रमाण—पत्र के आधार पर अथवा इनके अभाव में अन्य प्रकार से मंत्री के संतुष्ट होने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

❖ 1 संस्कृत शिक्षा समिति की बैठक दिनांक 10.03.2019 में लिए गए निर्णयानुसार क्रमांक 36 को 36A किया गया।

❖ 2 उपरोक्त बैठक में लिए गए निर्णयानुसार नियम 36A को बाढ़ 36B जोड़ा गया।

(Signature)

(37) प्रसूति अवकाश केवल विवाहित महिला स्थायी कर्मचारी को गर्भवती होने की दशा में अवकाश आरम्भ होने से 90 दिवस का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, जो समस्त सेवाकाल में दो बार से अधिक नहीं होगा।

(38) अवैतनिक अवकाश जब किसी अन्य प्रकार का अवकाश देय नहीं हो अथवा जब अन्य अवकाश के बकाया रहते कर्मचारी स्वयं लिखित में प्रार्थना करे तो उसको अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

परन्तु अवैतनिक अवकाश 3 माह से अधिक केवल कर्मचारी के रूण होने की दशा में पंजीकृत चिकित्सक के परामर्श पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

(39) अवकाश की स्वीकृति आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य समस्त प्रकार के अवकाश के लिए कर्मचारी को प्रार्थना-पत्र एक माह पूर्व देना होगा, इस अवधि में शिथिलीकरण विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। अवकाश स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर ही कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान कर सकेगा।

(40) स्वीकृत अवकाश के उपरान्त अनुपस्थिति किसी भी प्रकार के स्वीकृत अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी पुनः ड्यूटी पर उपस्थित न होने की दशा में यह मानते हुए कि कर्मचारी ने सोब से रवेच्छा से त्याग पत्र दे दिया है उसकी सेवाएँ समाप्त समझी जावेगी।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी की बिना स्वीकृत ड्यूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि को उस कर्मचारी को देय अवकाश स्वीकृत कर अनुपस्थिति की अवधि का नियमन कर सकेगा।

भाग (7) अनुशासनात्मक कार्यवाही

(41) शास्तियाँ किसी कर्मचारी को अभद्र/अशोभनीय व्यवहार करने सक्षम आदेशों की अवज्ञा करने सौंपे गये कार्यों में असावधानी/शिथिलता बरतने अथवा समिति के हितों के विरुद्ध कार्य करने समिति को हानि पहुँचाने या अनुशासन भंग करने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अथवा निम्नानुसार दुराचरण किए जाने पर (जो केवल उदाहरण स्वरूप है) निम्नांकित शास्तियाँ दी जा सकेगी –

(क) कर्तव्य करते समय अथवा अन्यथा नैतिक पतन का कार्य करना।

(ख) अभिभावकों से अशोभनीय व्यवहार करना।

- (ग) अनैतिक जीवन व्यतीत करना।
- (घ) ऐसे संघों में सम्मिलित होना जिनकी गतिविधियों व कार्य संस्था के स्वरूप, धार्मिक सिद्धान्तों व मान्यताओं तथा संस्था के हितों के विरुद्ध हो अथवा लोक व्यवस्था नैतिकता के प्रतिकूल हो अथवा देश के विधान विधि प्रभुसत्ता व अखण्डता के विरुद्ध कार्य कर रहे हों।
- (ए) ऐसे किसी प्रदर्शन हड्डताल या आन्दोलनात्मक कार्यवाही में भाग लेना जो संस्था के धार्मिक व सामान्य वातावरण के विरुद्ध हो, संस्था के कार्य-कलापों के गलत प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित हो संस्था की धार्मिक निष्ठा, श्रद्धा व सम्मान की अवमानना करता हो, अथवा संस्था के विरुद्ध किसी अपराधि गतिविधियों को प्रोत्साहित करता हो।
- (च) किसी प्रकार के आन्दोलन, प्रदर्शन, हड्डताल, काम-रोको, कार्यक्रम धीमे कार्य करने आदि आयोजनों में भाग लेना।
- (छ) संस्था के कार्य अन्तर्गत चल रहे कोषों के अतिरिक्त किसी प्रकार का चंदा, चाहे वह किसी रसीद से हो अथवा बिना रसीद के, मांगना अथवा स्वीकार करना।
- (झ) संस्था की सेवा में रहते हुए निजी व्यापार अथवा नियोजन करना।
- (न) संस्था में नशीले पेय अथवा नशीले पदार्थ का प्रयोग करना अथवा मादक स्थित में रहना।
- (ल) संस्था के सामान या धन की चोरी करना, संस्था की राशि का हिसाब न देना, कम हिसाब देना, गबन अथवा चोरी की नियत से राशियों का गलत समायोजन करना अथवा धन का दुरुपयोग करना, अनाधिकृत रूप से धन स्वयं के पार रखना अथवा किसी अन्य को देना, समय से जमा खर्च न करना, गलत जमा खर्च करना अथवा अन्य किसी प्रकार के गबन अथवा गबन का प्रयत्न करना आदि।
- (थ) संस्था के साज-समान अथवा सामग्री का अनाधिकृत रूप से उपयोग करना।

श्री दिग्मन्दर जैन संस्कृत शिल्प
ज्ञानी गड़, सागानेर, जयगुर-302029

२२/११/१५

मेरी संतुष्टि
श्री दिग्मन्दर जैन संस्कृत शिल्प
ज्ञानी गड़, सागानेर, जयगुर-302029

:: शास्त्रियाँ ::

(1) लघु शास्त्रियाँ :

- (क) परिनिन्दा (लिखित चेतावनी)
- (ख) संचयी / असंचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि रोकना
- (ग) समिति को की गई आर्थिक हानि की वसूली करना।

(2) दीर्घ शास्त्रियाँ :

- (क) विद्यमान पद से किसी नीचे के पद पर एक निश्चित अवधि के लिए पदावनत करना।
- (ख) सेवा समाप्त करना
- (ग) सेवा से बर्खास्त करना।

(42) जाँच प्रक्रिया

(1) दीर्घ शास्त्रियों के लिए जाँच अधिकारी जाँच की कार्यवाही समिति द्वारा अधिकृत रीति के अनुसार करेगा।

(2) लघु शास्ति आरोपित करने का आदेश पारित करने से पूर्व, सक्षम प्राधिकारी निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करेगा :—

(क) यह कि कर्मचारी को उसके विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही एवं उन अभिकथनों की, जिन पर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है, लिखित सूचना दे दी गई है तथा उसे कोई अभ्यावेदन, जो वह करना चाहे, करने का अवसर दे दिया गया है।

(ख) ऐसे अभ्यावेदन पर यदि कोई है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया गया है।

(ग) व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहने पर उसे दिया गया है।

(43) शास्ति आरोपण : उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अपनाए जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप अथवा आरोपों के सिद्ध पाये जाने पर नियम-41, में वर्णित कोई भी शास्ति लघु अथवा दीर्घ, जैसी भी स्थिति हो, आरोपित किए जाने के आदेश पारित कर सकेगा।

6. ८५
22/11/15

मंत्री
मान्मohan जैन संस्कृत शिक्षा समिति
संगानेर, उज्यपुर-302029

- (44) **निलम्बन** : मानद मंत्री किसी कर्मचारी को जिसके विरुद्ध जांच प्रारम्भ की जा चुकी है, या जांच किए जाने पर निर्णय ले लिया गया है, निलम्बित कर सकेंगे।
- (45) **विशेष परस्थितियों में संस्था के कार्यालय प्रभारी भी ऐसे किसी कर्मचारी को निलम्बित करने हेतु सक्षम होंगे, जिसके विरुद्ध विभागीय जाँच प्रस्तावित हो।**

परन्तु कार्यालय प्रभारी द्वारा किया गया निलम्बन मानद मंत्री की पुष्टि के अध्यधीन होगा तथा ऐसी दशा में कार्यालय प्रभारी का यह दायित्व होगा कि कर्मचारी को दिए जाने वाले आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र मानद मंत्री के पास सात दिन की अवधि में भिजवा दें।

- (46) **निलम्बित, कर्मचारी को मानद मंत्री, जांच विचाराधीन रखते हुए, किसी भी समय बहाल कर सकेंगे।**
- (46) **जीवन निर्वाह भत्ता** : निलम्बित कर्मचारी को निलम्बन की अवधि में उसे देय वेतन का केवल आधा वेतन बतौर जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
- (47) **अपील** : कर्मचारी पारित दण्डादेश के विरुद्ध एक माह की अवधि के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

- (48) **पुनर्वलोकन व पुनरीक्षण** : अपील के पारित आदेश के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी किसी भी प्रकरण में ख-विवेक से अथवा कर्मचारी द्वारा लिखित में प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, प्रकरण का पुनर्वलोकन व पुनरीक्षण कर यथोचित आदेश पारित कर सकेंगे, जो अंतिम होगा।

परन्तु अपील में पारित आदेश के दिनांक से 30 दिन की अवधि के पश्चात् किसी प्रकार का पुनर्वलोकन व पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा तथा ऐसी दशा में अपील में पारित आदेश अंतिम माना जावेगा।

- (49) **निलम्बन अवधि का नियमितीकरण** : जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने पर यदि कर्मचारी पूर्णतया दोषमुक्त पाया जाता है तो निलम्बन की अवधिक को ड्यूटी पर मानते हुए उस अवधि में प्राप्त जीवन निर्वाह भत्ते को कम करते हुए देय वेतन व भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी होगा, अन्यथा समक्ष प्राधिकारी निलम्बन काल के बारे में दण्डादेश पारित करते समय यथोचित आदेश पारित करेंगे।


*कृष्ण द्वितीय
२०१११५*

*मंत्री पारित करेंगे
लालबांध जैन संस्कृत शिक्षा कालिकृति
संगानन्द, जयपुर-३०२०२५*

भाग (8) अभाव अभियोग

(50) कर्मचारियों के अभाव-अभियोग का निराकरण : किसी प्रकार के अभाव अभियोग के सम्बन्ध में, चाहे वह अनुचित व्यवहार से सम्बन्धित हो, अथवा इन नियमों के सही रूप से लागू किए जाने से सम्बन्धित हो, अथवा अन्य किसी मामले से जो सेवा शर्त से सम्बन्धित हो, इससे पूर्व कि वह कर्मचारी उस प्रकरण को परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से अन्य किसी माध्यम से समक्ष ले जावे, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का निर्धारित समय सीमा में पालन करना होगा :—

- संस्था के कार्यालय प्रभारी को प्रतिवेदन— सात दिवस की अवधि में।
- सम्बन्धित कार्यालय प्रभारी के सम्बन्ध में मंत्री को प्रतिवेदन— 10 दिवस की अवधि में।
- मानद मंत्री को प्रतिवेदन 15 दिवस की अवधि में।
- अध्यक्ष को अपील — एक माह की अवधि में।


22/10/15
अध्यक्ष


मंत्री

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-302029

श्री दिगम्बर जैन संस्कृत शिक्षा समिति
जैन नसियाँ रोड, सांगानेर, जयपुर-302029